UPME010008302026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
उपस्थित : श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II,
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
(ID No. : UP 6030)
दाण्डिक निगरानी संख्या- 47 सन 2026

लोकेश न्यायी पुत्र स्व० राम सिंह निवासी गणपति एन्क्लेव, एन०एच०-58, बाईपास, निकट योगीपुरम चौकी, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ।

..... पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

1. उ०प्र० राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
2. श्रीमती मोनी पुत्री निजामुद्दीन
3. संदीप पुत्र रामपाल
4. श्रीमती क्रांति (संदीप की माता)
5. दीपक (संदीप की भाई)
6. विनीता (संदीप की बहन)
   निवासीगण ग्राम घसौली, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ।
7. निजामुद्दीन पुत्र ईमामुद्दीन, वर्तमान निवासी गोडविन पब्लिक स्कूल, रोहटा रोड, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ।

..... प्रत्युत्तरकर्तागण।

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण, प्रकीर्ण वाद संख्या-2431/2025 लोकेश न्यायी बनाम श्रीमती मोनी आदि, मु०अ०सं०-742 सन् 2024, थाना कंकर खेड़ा, जिला मेरठ में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.11.2025 से, उक्त मामलें में प्रस्तुत अंतिम आख्या के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता/वादी के द्वारा दाखिल प्रोटेस्ट पैटीशन दिनांकित 28.10.2025, खारिज एवं अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने के विरूद्ध योजित की गयी है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि-

2. प्रस्तुत पुनरीक्षण के सम्बन्ध में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्युत्तरकर्ता/वादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मु०अ०सं०- 742/2024 सरकार बनाम मोनी आदि अन्तर्गत धारा 61(2), 351(2) बी०एन०एस० एवं 3,5(1) उ०प्र० विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी थी। उक्त अंतिम

आख्या के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता/ वादी द्वारा प्रोटेस्ट पैटीशन दिनांकित 28.10.2025 दाखिल किया गया था। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष देते हुए कि विवेचक द्वारा विधि सम्मत व उचित तरीके से विवेचना की गयी है, अन्तिम आख्या संख्या-137/2025 स्वीकार करते हुए पुनरीक्षणकर्ता/ वादी का प्रोटेस्ट पैटीशन दिनांकित 28.10.2025 अपने आदेश दिनांकित 24.11.2025 से खारिज कर दिया गया था।

पुनरीक्षण का आधार-

3. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध व दोषपूर्ण है तथा तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया है। पुनरीक्षणकर्ता ने एक मु०अ०सं०-742/2024 सरकार बनाम मोनी आदि अन्तर्गत धारा 61(2), 351(2) बी०एन०एस० एवं 3, 5(1) उ०प्र० विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन थाना कंकरखेड़ा, मेरठ इस आशय का पंजीकृत कराया था कि दिनांक 19.01.2016 को प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता के संसर्ग से प्रार्थी की पत्नि श्रीमती मोनी पुत्री निजामुद्दीन के गर्भ से पुत्र ईशान न्यायी का जन्म हुआ, लेकिन श्रीमती मोनी का चाल-चलन ठीक न होने के कारण तथा उसके पिता निजामुद्दीन द्वारा उसे शह देने के कारण दिनांक 15.03.2024 से प्रार्थी की पत्नी मोनी, प्रार्थी के पुत्र ईशान को लेकर नन्द विहार, रोहटा रोड़, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ में रहने लगी। उसके पश्चात प्रार्थी की पत्नी उससे बिना तलाक लिये, सन्दीप पुत्र स्व० रामपाल निवासी ग्राम घसौली, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ के पास चली गयी और उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाकर रहने लगी। दिनांक 27.08.2024 को उसकी बहन सोहनी व माताजी रहीसा ने प्रार्थी को बताया कि दिनांक 10.08.2024 को श्रीमती मोनी व उसके पिता निजामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन ने प्रार्थी के पुत्र का खतना उनके द्वारा मना करने के बावजूद मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार उसका धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से करा दिया है तथा जबरदस्ती उसे मुसलमान बना दिया है और निजामुद्दीन व मोनी ने प्रार्थी के लड़के को कलमा भी पढ़वा दिया। मैडिकल रिपोर्ट में खतना का समय पूर्व का है, जो वादी के बयान कागज संख्या सी०डी० 2 दिनांक 21.12.2024 (पीडित) के बयान की पुष्टि करता है। इस आपराधिक षड़यंत्र में विपक्षी सन्दीप व उसके परिजन भी उसका साथ दे रहे है। विवेचक द्वारा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दरकिनार कर अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है कि घटना को सिर्फ पीडित सिद्ध करेगा। विवेचक ने सभी विधि के मानकों को दरकिनार करते हुए पैसे के लालच में मुल्जिमान से साज कर मोनी व प्रार्थी/निगरानीकर्ता का तलाक फर्जी समझौतानामा के आधार पर दिखाकर उक्त केस में विधि विरूद्ध अंतिम आख्या अवर न्यायालय में प्रेषित कर दी। अतः उपरोक्त काराणों के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.11.2025 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. दस्तावेजी साक्ष्य-पुनरीक्षणकर्ता:

(i) मु०अ०सं०- 742/2024 सरकार बनाम मोनी आदि अन्तर्गत धारा 61(2), 351(2) बी०एन०एस० एवं 3,5(1) उ०प्र० विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ में पारित आदेश दिनांकित 24.11.2025 की सत्यापित प्रतिलिपि कागज संख्या 5 ख/2, लोकेश न्यायी का आधार कार्ड की प्रति कागज सं०-6 ख/2.

5. प्रत्युत्तरकर्ता/विपक्षी संख्या 1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश विधिक प्राविधानों के अनुकूल है। उसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

6. मैंने पुनरीक्षकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा आलोच्य आदेश एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

7. **मालती बनाम उ०प्र० राज्य 2000 (क्रि०लॉ०ज०) 4170 (इला०)** के मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक न्याय-शास्त्र के अधीन स्थापित न्याय किया गया है या नहीं।

8. **अमित कुमार बनाम रमेश चन्द्र (2012) 9 एस०सी०सी० 460** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय के निष्कर्षों की वैधानिकता एवं उचितता तक सीमित रहना चाहिए। पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय के तथ्य के निष्कर्षों को निरस्त किये जाने की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। पुनरीक्षण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती या अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथ्य के नवीन निष्कर्षों एवं साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता।

9. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा, निगरानीकर्ता/ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पैटीशन दिनांकित 28.10.2025, अपने आदेश दिनांकित 24.11.2025 से खारिज कर दिया गया था।

10. विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में यह आधार लिया है कि-

> "विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि तमामी विवेचना, बयान गवाहान, मैडिकल रिपोर्ट, स्कूल उपस्थिति रजिस्टर व अन्य साक्ष्य संकलन से पाया गया है कि वादी का पुत्र ईशान न्यायी दिनांक 5.8.2024 से 31.8.2024 लगातार कक्ष 2 गोडविन पब्लिक स्कूल रोहटा रोड में उपस्थित रहा है, जबकि मैडिकल विशेषज्ञों की राय में घटना होने के उपरान्त् कम से कम 7 दिवस तक पट्टी व दर्द निवारक दवाईयां अनिवार्य है एवं 7 से 10 दिन तक आराम करना आवश्यक है, जबकि लोकेश न्यायी के पुत्र का खतना करने के दिनांक 10.8.2024 के बाद से लगातार स्कूल जाता रहा है तथा शपथ पत्र व गवाहो के बयान से खतना मात्र 2016 में कराया जाना सही प्रतीत होता है। वादी द्वारा जानबूझकर दबाव बनाने की नीयत से नामजद अभियुक्तो पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
>
> आवेदक द्वारा प्रस्तुत तहरीर का मुख्य आधार यह है कि उसके पुत्र का खतना जबरन धर्म परिवर्तन करने के इरादे से विपक्षीगण, जो कि उसकी पत्नी व उसके

ससुरालीजन है, के द्वारा करा दिया गया। आवेदक का अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन है कि उक्त खतना दिनांक 10.8.2024 को विपक्षीगण ने कराया है, परन्तु विवेचक द्वारा इस सम्बन्ध में अनेक साक्ष्यों का संकलन किया गया है। विवेचक द्वारा केस डायरी में खतना करने वाले व्यक्ति इश्तकार पुत्र सत्तार का बयान संकलित किया गया है। जिसने अपने शपथ पत्र पर किये हस्ताक्षरों की पहचान करते हुए कहा है कि मार्च 2016 में उसने एक बच्चे इशान का खतना ग्राम रोहटा में किया था। जब इशान बहुत छोटा था और गांव व मौहल्ले के रहने वाले लियाकत, अख्तर आदि काफी लोग मौजूद थे। विवेचक द्वारा लियाकत, बबली, रविपाल, जरिफा, शकुन्तला, अख्तर आदि अनेक व्यक्तियों के बयान केस डायरी में संलग्न किये है, उनके बयान शपथ पत्र भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि निजामुद्दीन की पुत्री मोनी से करीब 10 वर्ष पूर्व लोकेश न्यायी आवेदक से विवाह हुआ था। बाद में झगडा होने के कारण दोनो अलग हो गये और समझौते से अलग हो गये। उनके बयानो में यह भी आया है कि लोकेश न्यायी व मोनी के पुत्र इशान का खतना पैदा होने के कुछ समय बाद वर्ष 2016 में ही करा दिया गया था। इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा प्रधानाचार्य गोडविन पब्लिक स्कूल के बयान भी संलग्न किये गये है। जिसमें उन्होंने यह कहा है कि इशान पुत्र लोकेश उनके स्कूल में वर्ष 2024 से सेकंड कक्षा का छात्र रहा है। इशान न्यायी की उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी है। जिसमें इशान न्यायी दिनांक 5.8.2024 से 31.8.2024 तक अवकाश को छोडकर लगातार कक्षा में उपस्थित रहा है। विवेचक द्वारा अनेक विशेषज्ञ डॉक्टरो के बयान भी अंकित किये है। न्यूरोलोजी डिपार्टमेन्ट डॉ० आशीष कुमार जैन के अनुसार खतना के उपरान्त् कम से कम 7 दिन तक दवाईया व ड्रेसिंग कराना जरूरी होता है जबकि इशान घटना के दिन 10.8.2024 से लगातार अपनी कक्षा सेकेन्ड गोडविन पब्लिक स्कूल में उपस्थित रहा है। इस सम्बन्ध में डॉ० मिथुन गोड के बयान भी संकलित है जो अपने बयान में यह स्पष्ट करते है कि परीक्षण के अनुसार खतना 6 माह पूर्व का है, कितने पूर्व का है, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 6 माह बाद सभी स्किल व टीशू निर्धारित अवस्था में आ जाते है। इस सम्बन्ध में डॉ० गौरव गुप्ता के बयान भी संलग्न है। इस प्रकार विवेचक द्वारा पत्रावली में अनेक ऐसे साक्ष्य संकलित किये गये है, जिससे विवेचक का यह निष्कर्षे कि खतना मात्र

2016 में हुआ है, न कि 10.8.2024 को, उचित प्रतीत होता है।

आवेदक व विपक्षी मोनी एक-दूसरे के पति, पत्नी रहे है, बाद में विवाद होने के कारण दोनो अलग हुए है। विवेचक द्वारा केस डायरी में उनके मध्य हुआ सुलहनामा दिनांकित 10.9.2024 भी संलग्न किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वे दोनो दिनांक 15.11.2014 से एक साथ रह रहे थे और पति, पत्नी अलग-अलग होना चाहते थे, लेन देन भी हो चुका है और उनके पुत्र इशान उसकी माता मोनी से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और जो मुकदमें है, वह समाप्त करा लिये जायेंगे और दोनो अपनी मर्जी से कहीं भी विवाह कर सकते है। उक्त समझौतानामा तलाकनामें के साथ लिखा गया है।

सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा खतना की घटना वर्ष 2016 में मानना तथा पीडित बच्चे के बयान अपने पिता से प्रभावित होना मानकर नजरअंदाज करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना किसी भी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

आवेदक द्वारा अपने प्रोटेस्ट में विवेचक को मुलजिमानो से सांठगांठ करके उनके पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करना कहा है, परन्तु यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक कि कोई ठोस आधार न हो, तब तक यह माना जाना चाहिए कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने सम्यक अनुक्रम में उसी प्रकार से कार्य किया जा रहा है, जिस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए था। पत्रावली में ऐसा कोई आधार नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि विवेचक की अभियुक्तगण के साथ में सांठगांठ थी या अभियुक्तगण से मोटी रकम वसूलकर एफ० आर० लगायी जा रही है। पत्रावली में ऐसा कोई आधार मौजूद नहीं है, जिससे ऐसा कोई निष्कर्ष निकाला जा सके।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मात्र वादी के बयान या विवेचना के दौरान वादी के समर्थन में धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर ही विवेचक आरोप पत्र लगाने के लिए बाध्य नहीं है। यह विवेचक की जिम्मेदारी है कि समस्त प्रकृति का साक्ष्य एकत्रित करें और उस एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाले। पत्रावली में ऐसा भी कोई कारण मौजूद नहीं है कि विवेचक द्वारा किसी अनुचित प्रभाव में आकर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। विवेचक एक लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी ठोस कारण के इस वैध उपधारणा को खण्डित नहीं माना

जाना चाहिए कि एक लोक सेवक द्वारा लोक हित में उसी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन किया है, जिस तरह से उसे करना चाहिए।

आवेदक ने अपने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में किसी तात्विक त्रुटि की ओर न्यायालय का ध्यान आकृषित नहीं किया है, न ही इस बाबत कोई कथन किया है जिस पर अग्रिम विवेचना की आवश्यकता मानी जा सके।

उपरोक्त समस्त संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा लिये गये निष्कर्ष किसी भी दृष्टि में त्रुटिपूर्ण प्रतीत नहीं हो रहे है तथा विवेचक द्वारा विधि सम्मत व उचित तरीके से विवेचना की गयी है और उचित निष्कर्ष लिये गये है। उपरोक्त आधारो पर अंतिम आख्या स्वीकार होने योग्य है और प्रोटेस्ट पैटीशन खारिज होने योग्य है। विवेचक द्वारा मु० अ० सं० मु० अ० सं० 742/2024 धारा 61 (2), 351 (2) बी० एन० एस० एंव धारा 3, 5 (1) उ० प्र० विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन थाना कंकरखेडा, मेरठ में प्रस्तुत अंतिम आख्या सं० 137/2025 स्वीकार की जाती है। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पैटीशन दिनांकित 28.10.2025 खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।"

11. उभयपक्षों के तर्कों एवं पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 61(2) एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3 एवं 5(2) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 में प्रस्तुत की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के सुसंगत तथ्य यह है कि विपक्षीगण श्रीमती मोनी, निजामुद्दीन, संदीप, संदीप की माता क्रांति, संदीप का भाई दीपक एवं संदीप की बहन ने पुनरीक्षणकर्ता के पुत्र का खतना जबरदस्ती कराकर मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार उसका धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से कलमा पढ़ाकर मुस्लमान बना दिया।

12. विवेचक द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रपत्रों में सी०डी० संख्या-1 में वादी के बयान अंकित किया गया है, जो उक्त घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। लेकिन उक्त बयान में खतना कराये जाने का दिनांक 10.08.2024 बतलाया गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाह श्रीमती रहीसा एवं श्रीमती सोहनी का बयान अंकित किया गया, जो अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी का है। लेकिन पत्रावली पर मजरूब ईशान न्यासी का भी बयान अंकित है, जिसमें दिनांक 08.10.2024 को उक्त खतना कराये जाने का कथन किया गया है। पत्रावली पर धारा 183 बी०एन०एस०एस० का भी बयान प्रस्तुत है, जिसमें उक्त खतना कराये जाने के तथ्य की पुष्टि की गयी है। लेकिन घटना के दिनांक को लेकर साक्षियों के बयान में विरोधाभाष है। स्वयं मजरूब ने

अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में घटना का दिनांक 08.10.2024 कथित किया है, जबकि धारा 183 बी०एन०एस०एस० में घटना का दिनांक 10.08.2024 है। चिकित्सक के बयान तथा चिकित्सीय आख्या में उक्त खतने की समय-सीमा निर्धारित नही की जा सकी है। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकाश में है कि दिनांक 08.10.2024 के संबंध में मजरूब के विद्यालय गॉडविन पब्लिक स्कूल, रोहटा रोड़ के प्राचार्य श्री विनय शर्मा ने अपने बयान में यह कथित किया है कि मजरूब उनके विद्यालय में वर्ष 2024 में दूसरी कक्षा का विधार्थी रहा है। ईशान न्यासी दिनांक 05.08.2024 से 21.08.2024 तक अवकाश को छोड़कर लगातार उपस्थित रहा है। विवेचक ने डा० आशीष कुमार जैन की रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य अंकित किया है कि खतना के पश्चात कम से कम 7 दिन तक दवाईयां व पट्टी आदि कराना जरूरी होता है। विवेचक ने अन्य कई साक्षियों के बयान अंकित किये है। उन सभी ने दिनांक 08.10.2024 को खतना कराये जाने के तथ्य से इन्कार किया है।

13. यह स्वीकृत तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता तथा प्रत्यार्थी संख्या-2 मोनी के बीच विवाह-विच्छेद का समझौता सितंबर 2024 में हो चुका है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उक्त समझौते से पुत्र ईशान न्यासी पुनरीक्षणकर्ता के पास रह रहा है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यार्थी सं०-2 मोनी ने संदीप नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया है। जहां तक खतना कराये जाने का प्रश्न है, उक्त का दिनांक, समय एवं स्थान विवेचना में प्रत्यक्ष साक्ष्य के द्वारा स्पष्ट नहीं है।

14. विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में खतना कराये जाने के कथित दिनांक एवं माह में मजरूब की अपने विद्यालय में उपस्थिति तथा अन्य साक्षियों के बयान तथा शपथपत्र को आधार में लिया है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में विवेचक द्वारा केस डायरी में खतना करने वाले व्यक्ति इश्तकार पुत्र सत्तार के बयान को भी उल्लिखित किया है।

15. उपरोक्त सभी तथ्य एवं परिस्थिति के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय ने खतने का समय सन् 2016 के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने को उचित माना है और यह कथित किया है कि धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर ही विवेचक आरोप पत्र लगाने के लिए बाध्य नहीं है।

16. पुनरीक्षण याचिका में मुख्य आधार यह लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने पीडित के बयान की उपेक्षा कर आलोच्य आदेश पारित किया है। पुनरीक्षण याचिका में प्रत्यर्थी सं०-2 द्वारा अवैधानिक विवाह किये जाने तथा धारा 125 दं०प्र०सं० की याचिका प्रस्तुत किये जाने आदि का उल्लेख किया है, जो प्रस्तुत मामलें में प्रासंगिक नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता ने उक्त समझौतेनामे को फर्जी बतलाते हुए विवेचक द्वारा विवेचना में की गयी त्रुटियों को कथित किया है।

17. लेकिन प्रस्तुत मामलें में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कथित घटना उक्त दिनांक को घटित हुई? चिकित्सीय साक्ष्य एवं मजरूब के विद्यालय के

प्रपत्र उक्त तथ्य की पुष्टि नही करते है। पक्षकारों के बीच आपसी रंजिश एवं मजरूब का पुनरीक्षणकर्ता के साथ निवास करना विश्वसनीयता को खण्डित करता है। केस डायरी में अंकित साक्षियों के बयान अंतिम रिपोर्ट की ओर ले जाते है। ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय ने विस्तृत रूप से केस डायरी के तथ्यों का उल्लेख करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता परीलक्षित नही होती है।

18. उपरोक्त विशलेषण के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.11.2025 पूरी तरह से विधिसम्मत व उचित है तथा उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

19. अतः पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.11.2025 यथावत रखे जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.11.2025 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक– 15.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
ID No. UP 6030

निर्णय खुले न्यायालय में आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 15.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
ID No. UP 6030

This is uncertified copy for information/ reference.
For authentic copy please refer to certified copy only.